




# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 30.9.1981

की कार्य सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-9-81  
 = = = = =  
 जो आयुक्त, लखानऊ मण्डल, लखानऊ के कार्यालय में पूर्वान्ह  
 = = = = =  
 11-00 बजे होगी, में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची  
 = = = = =

====xxx::: 0000 ::: xxx =====

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखानऊ विकास प्राधिकरण के नव-नियुक्त सदस्यों का स्वागत ।	
2-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-6-1981 के कार्य-वृत्त के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में ।	1
3-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-6-81 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	6
4-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की भाौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।	9
5-	भावन/भाछाण्डों को आपसी सहमति से हस्तान्तरण करने पर विभान्न प्रकार के हस्तान्तरण शुल्क लेने के सम्बन्ध में ।	19
6-	प्राधिकरण द्वारा विकसित भाछाण्डों एवं निर्मित भावनों में से 20 प्रतिशत भाछाण्ड/भावन प्राधिकरण की आय श्रोतों में वृद्धि हेतु केशा-डाउन बेसिस पर बेचने के लिये आरक्षित करने के सम्बन्ध में ।	20
7-	विकास प्राधिकरण के पुरानी कालोनीज़ में नये पुराने भावनों को विक्रय करना ।	21
8-	नवनिर्मित भावनों की टेक्स लाएविलिटी भावन आत्रिन्टियों द्वारा वहन करने के सम्बन्ध में ।	22
9-	कर्मचारियों को भावन/भूमि क्रय अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में ।	23
10-	लखानऊ विकास प्राधिकरण में 1- 17 चपरासी 2- एक लाइब्रेरियन 3- लेखा विभाग हेतु एक दफ्तरी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।	25
11-	लखानऊ विकास प्राधिकरण में एक अंशकालीन चिकित्सक की नियुक्त हेतु ।	27
12-	लखानऊ विकास प्राधिकरण के नव-नियुक्त कर्मचारियों को राजकीय वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में ।	28
13-	लखानऊ कानपुर मार्ग पर आवासीय क्षेत्र सेक्टर "डी" का विकास ।	30
14-	अलीगंज योजना में नेशनल होम्पोपेथिक कालेज हेतु आरक्षित भूमि के सम्बन्ध में	31
15-	अध्यक्षा की अनुमति से अन्य विषय	

विषय संख्या: 2

पृष्ठ संख्या: 1

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की  
बैठक दिनांक 25-6-1981 के कार्य-  
वृत्त के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=x=

लखनऊ विकास प्राधिकरण की  
बैठक दिनांक 25-6-81 का कार्य-वृत्त  
पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है ।

==== ::::: 0000 ::::: =====

एम/आरxxx

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-6-81  
 = = = = =  
 जो आयुक्त, लखानऊ मण्डल के कार्यालय में पूर्वान्ह 10-00  
 = = = = =  
 अजे हुई का कार्य-वृत्त ।  
 = = = = =

=====:::000:::=====

उपस्थित:

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1- | श्री पी०सी०सक्सेना       | आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं<br>अध्यक्षा, लखानऊ विकास<br>प्राधिकरण, लखानऊ । |
| 2- | श्री बी०जे०छातोदायजी     | सचिव, आवास एवं पुर्नवास<br>विभाग, उत्तर प्रदेश-<br>शासन, लखानऊ ।       |
| 3- | श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग<br>उत्तर प्रदेश शासन,<br>विधान भवन-लखानऊ ।   |
| 4- | श्री ए०के०रस्तोगी        | जिलाधिकारी, लखानऊ  |
| 5- | श्री जे०पी०दुबे          | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,<br>उत्तर प्रदेश, लखानऊ ।                   |
| 6- | श्री योगेशानाथ चतुर्वेदी | अधीक्षणा अभियन्ता<br>उत्तर प्रदेश जलनिगम,<br>लखानऊ ।                   |
| 7- | श्री सुजीत बनर्जी        | उपाध्यक्षा, लखानऊ विकास<br>प्राधिकरण, लखानऊ ।                          |

=x=x=x=x=x=x=x=x=

अन्य उपस्थित:

- |    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1- | श्री शकुदेव प्रसाद त्रिपाठी | सचिव, लखानऊ विकास<br>प्राधिकरण ।              |
| 2- | श्री ए०एन०सिंह              | अतिरिक्त सचिव, लखानऊ-<br>विकास प्राधिकरण ।    |
| 3- | श्री के०पी०सिंह             | वरिष्ठ नगर नियोजक,<br>लखानऊ विकास प्राधिकरण । |

=x=x=x=x=x=x=x=x=

विषय संख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक  
दिनांक 25-3-81 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव:

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक  
दिनांक 25-3-1981 के मद्द संख्या: 8 में  
संशोधन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि  
की गई ।

विषय संख्या: 2

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक  
दिनांक 25-3-81 में लिये गये निश्चयों  
की अनुपालन आख्या ।

पारित प्रस्ताव:

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

:: 2 ::

विषय संख्या: 3

विकास प्राधिकरण की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति आख्या ।

पारित प्रस्ताव:

प्राधिकरण के भौतिक कार्यों की समीक्षा की गयी । उपाध्यक्ष ने बताया कि सीमेन्ट के न मिलने के कारण निर्माण कार्यों में काफी गतिरोध हो गया है । फिरभी स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । भूमि अध्याप्त के बारे में बहुत से मामले शासन स्तर पर लम्बित हैं । अतः यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के दूरगामी हितों को देखाते हुए अध्याप्त कार्य में शीघ्रता हेतु आवास सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाये । प्राधिकरण ने यह भी आँकड़ा व्यक्त की कि प्राधिकरण के अर्जन विभाग में टेकनिकल अधिकारी न रखाकर प्रान्तीय सेवा का एक अधिकारी रखा जाये ताकि टेकनिकल - अधिकारी की सेवा का अन्यत्र उपयोग हो ।

विषय संख्या: 4

बिल्डिंग बाई-लाज़ उप-समिति द्वारा निर्मित बिल्डिंग बाई-लाज़ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

प्रस्तुत बाई-लाज़ पर विस्तृत रूप से विवेचना की गई तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर-प्रदेश के सुझावोंनुसार बाई-लाज़ संशोधित किया गया तथा बाई-लाज़ के संशोधित प्रारूप को स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 5

1-राणा पुताप मार्ग के एक भाग पर मिनी-सिनेमा थियेटर हाल बनाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह स्थल शिक्षा संस्थाओं के मध्य पड़ता है अतएव इस स्थान पर सिनेमा बनाने की अनुमति देना सम्भव नहीं है । भू-उपयोग परिवर्तन सम्भव है ।

विषय संख्या: 6

उमराव टाकीज़ के समीप आवासीय एवं व्यावसायिक योजना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श के पश्चात प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भू-अभिलेखों से यह पुष्टि कर ली जाये कि यह भूमि अर्बन सीलिंग अधिनियम में रिक्त तो घोषित नहीं की गई है ।

विषय संख्या: 7

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव के वैयक्तिक सहायक के दो पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

प्राधिकरण ने पूर्ण आख्या देने के लिये निर्देशित करते हुए यह निर्णय लिया कि आगामी बैठक में प्रस्तावित पदों के औचित्य, चयन श्रोत, शैक्षिक अर्हताएँ तथा अन्य सम्बन्धित विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाये तथा इन पदों के सम्बन्ध में कानपुर विकास-प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर ली जाये ।

विषय संख्या: 8

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कानपुर-विकास प्राधिकरण से प्रदत्त शिक्षा सुविधा के बारे में पता लगाकर स्पष्ट आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 9

प्राधिकरण के विभिन्न विभागों हेतु चतुर्थांश श्रेणी कर्मचारियों व परराशियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह विषय प्राधिकरण की आगामी बैठक में विस्तृत विवरण के साथ रक्खा जाये ।

विषय संख्या: 10

लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों पर लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी सेवानिवृत्त पेंशन ग्रेजुटी एवं जनरल प्राविडेंट फंड नियमावली, 1962 लागू करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्तरिम पेंशन की तरह अन्तरित ग्रेजुटी भाग 75 प्रतिशत सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दी जाये ।

विषय संख्या: 11

प्राधिकरण के ड्राइवरों तथा क्लीनरों के पदों का सृजन ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में ड्राइवरों के 8 और पद सृजित कर दिये जायें ।

विषय संख्या: 12

कानपुर रोड योजना के अर्न्तगत निर्वल संस्थान को सेंट्रल हॉस्पिटल के निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि उक्त संस्था के बारे में जोर-आँकड़ जानकारी प्राप्त करके प्राधिकरण की आगामी बैठक में विस्तृत रूप से आख्या प्रस्तुत की जाये ।

अन्य प्रस्ताव संख्या: 13

- क- विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि निरालानगर योजना में प्रस्तावित सिनेमा भूखण्ड पर सिनेमाघर के बजाए कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण कराया जाये। इस सम्बन्ध में विधिगत जाँच करा ली जाये।
- ख- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने नज़ीराबाद रोड को नाज़ सिनेमा तक चौड़ा किये जाने का प्रस्ताव रखा। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग के दोनों तरफ़ स्थित क्षेत्र को विकसित करने के लिये योजना प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रक्खी जाये।
- ग- शिवाजी मार्ग के दोनों ओर छालनेवाले भावनों के अग्रभाग में केवल 25 फिट अन्दर तक ही व्यवसायिक उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जाये।

ह० शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी  
 § शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी §  
 सचिव  
 लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त

ह० पी०सी०सक्सेना  
 § प्रकाश चन्द्र सक्सेना §  
 आयुक्त  
 लखनऊ मण्डल एवं  
 अधिष्ठा, लखनऊ विकास  
 प्राधिकरण, लखनऊ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक  
दिनांक 25-6-81 में लिये गये निर्णयों की  
अनुपालन आख्या ।

X=X=X=X=X=X=X=X

क्रम सं०	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	2	3	4
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-3-81 का पुष्टिकरण	कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	नोट किया गया
2-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-3-81 के निर्णयों की अनुपालन-आख्या ।	अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।	--
3-	विकास प्राधिकरण की भाषितिक तथा वित्तीय प्रगति आख्या ।	निर्णय लिया गया कि अध्यापन कार्य में शीघ्रता हेतु आवास सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जाये तथा अर्जन हेतु टेक्निकल अधिकारियों के स्थान पर पीओसीओएसओ अधिकारी रखा जाये ।	शासन स्तर पर अब 7 मामले लम्बित हैं । यदि आवश्यकता हुई तो आवास सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जायेगी ।
4-	बिल्डिंग वार्डलाज उप-समिति द्वारा निर्मित बिल्डिंग वार्डलाज की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश के सुझाव अनुसार वार्डलाज संशोधित किया गया तथा संशोधित प्रारूप को स्वीकार किया गया ।	निर्णय नोट किया गया तथा तदनुसार शूद प्रतियाँ छपाई जा रही हैं ।
5-	राणा प्रताप मार्ग के संलग्न प्लान पर श्री डीओएन सिंह तिखा हाउस, फेजाबाद रोड के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि सिनेमा बनाने की अनुमति देना सम्भाव नहीं है । भू-उपयोग परिवर्तन सम्भाव है ।	निर्णय से प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या-103/उपा० दिनांक 21-9-81 द्वारा अग्रत करा दिया गया है ।
6-	उमराव टाकीज के समीप आवासीय एवं व्यवसायिक योजना के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्वीकार किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि पुष्टि कर ली जाये कि भूमि अर्जन सीलिंग अधिनियम में रिक्त तो घोषित नहीं की गई है ।	निर्णयानुसार अर्जन सीलिंग कार्यालय से पता लगाया जा रहा है ।

क्रमशः---

1	2	3	4
7-	ल0वि0प्र0 के उपाध्यक्ष एवं सचिव के वैयक्तिक सहायक के दो पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।	प्राधिका० ने पूर्ण आख्या देने हेतु निर्देशित किया एवं कान-पुर विकास प्राधिका० से जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया ।	निर्देशानुसार आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही है ।
8-	लखानऊ विकास प्राधिका० के कर्मचारियों की शिक्षा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि कानपुर विकास प्राधिका० से पत्रों लगाकर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जाये ।	निर्णयानुसार का०वि०प्र० से विवरण प्राप्त हो गया है । अग्रिम पृष्ठ-ताछ की जा रही है । का०वि० प्र० 1960 के शासनादेश के अनुसार यह सुविधा दे रहा है । तब से वेतनमान बदल गये हैं ।
9-	प्राधिका० के विभिन्न विभागों हेतु चपरासियों के पदों का सृजन ।	निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	निर्णयानुसार विषय पुनः प्रस्तुत है ।
10-	ल०वि०प्र० कर्मचारियों पर लखानऊ नगर महापालिका कर्मचारी सेवानिवृत्त वेतन ग्रेजुटी एवं जनरल प्र० फ० नियमावली 1962 लागू करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि अन्तरिम पुराना की तरह अन्तरिम ग्रेजुटी भी 75% सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को दी जाये ।	निर्णयानुसार सेवानिवृत्त वेतन ग्रेजुटी की सीमा 75% कर दी गई है । जिसके भ्रू-तान के मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
11-	प्राधिका० के डाइरेक्टर तथा क्लिंकिंग के पदों का सृजन ।	निर्णय लिया गया कि डाइरेक्टरों के 8 और पद स्वीकृत कर दिये जायें ।	निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
12-	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत निबल संस्थान को "सेन्ट्रल हॉस्पिटल" के निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि संस्था के बारे में और अधिक जानकारी करके पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	निर्णयानुसार संस्था के बारे में जानकारी की जा रही है । जानकारी पूर्ण हो जाने पर बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
13-क-	निराला नगर योजना में प्रस्तावित सिनेमा-हाल पर सिनेमाघर के बजाये कम्युनिटी-सेन्टर बनाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण कराया जाये । इस सम्बन्ध में विधिक जांच करा ली जाये ।	निर्णयानुसार आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

1	2	3	4
---	---	---	---

13-ख-	नजीरुबाद रोड को नांज सिनेमा तक चौड़ा किये जाने के सम्बन्धों में ।	निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग के दोनों तरफ स्थित क्षेत्र को विकसित करने के लिये योजना प्राधिकरण के समक्ष विद्यार्थी रखी जाये ।	निर्णयानुसार स्थल का डिटेल् सर्वे कराया जा रहा है । तत्पश्चात् योजना का प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किया जायेगा ।
13-ग-	शिवाजी मार्ग के व्यावसायिक उपयोग की स्वीकृति के सम्बन्धों में ।	निर्णय लिया गया कि शिवाजी मार्ग के दोनों ओर छालने वाले भूखण्डों के अग्र-भाग में केवल 25 फिट अन्दर तक ही व्यावसायिक उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जाये ।	निर्णयानुसार आवश्यक कार्य-वाही की जा रही है ।

====xxx::: 0000 :::xxx=====

एम/आरxxx

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।

==x=x=x=x=x=x=x=

लखनऊ विकास प्राधिकरण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण संलग्न है ।

- 1- वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा 4,669 भावनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इनमें से कुछ में काम हो रहा है और कार्य प्रगति पर है । कुछ भावनों के निर्माण हेतु निविदाएँ माँग ली गयी है और शेष भावनों के आगणन तैयार किये जा रहे हैं । वर्षा ऋतु के कारण निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है । अब निर्माण कार्य तीव्र गति से कराया जायेगा ।
- 2- प्राधिकरण ने इस वित्तीय वर्ष में शापिंग कॉम्प्लेक्स हेतु 139 दूकानों के निर्माण का प्राविधान किया है । जिसमें से 37 दूकानों का निर्माण किया जा रहा है । छितवापुर कॉम्प्लेक्स की भूमि का कब्जा लिये जाने के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण, तथा सिन्डर्स डम्पयोजना की दूकानों का पूर्वनिर्मित दूकानों के बारे में विस्थापितों से विवाद होने से आवन्टित नहीं हो सकी, फलतः शापिंग-कॉम्प्लेक्सों के निर्माण की प्रगति अब भी कुछ धीमी है ।
- 3- भूमि विकास में प्रगति कम होने का मुख्य कारण यह है कि प्राधिकरण को इस कार्य हेतु प्रयाप्त धानराशि उपलब्ध नहीं हो सकी ।

====:~::~: 0000 ~::~:=====





आवासीय भावनों की वित्तीय प्रगति आख्या माह अगस्त 1981  
 x=x

क्र०स०	योजना का नाम	भावन का प्रकार	बजट में प्रस्तावित स्वीकृत धानराशि	स्वीकृत धानराशि	माह के अन्त तक व्यय	विवरण
1-	अलीगंज योजना	एच०आई०जी० एम०आई०जी० एल०आई०जी० ई०डब्लू०एस० साइट/सर्विसज़	126.00 लाख	126.00 लाख	48.2331	
2-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना	एच०आई०जी० एम०आई०जी० एल०आई०जी० ई०डब्लू०एस० साइट/सर्विसज़	133.00 लाख	133.00 लाख	31.1468	
3-	मोतीश्रील योजना	एल०आई०जी० ई०डब्लू०एस० साइट/सर्विसज़	4.00 लाख	4.00 लाख	—	
4-	मलिन बस्ती योजना	एच०आई०जी० एम०आई०जी० एल०आई०जी० ई०डब्लू०एस० साइट/सर्विसज़	6.00 लाख	6.00 लाख	00.7724	
कुल योग :-			269.00 लाख	289.00 लाख		



ग्राणियाज्य एवं अन्य योजनाओं के भावनों का विवरण माह अगस्त 1981  $\{$  वित्तीय  $\}$

क्रम सं०	योजना का नाम	बजट में प्रस्तावित धनराशि $\{$ लाखाँ में $\}$	स्वीकृत धनराशि $\{$ लाखाँ में $\}$	व्यय $\{$ लाखाँ में $\}$
1-	छितवापुर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	75.00	75.00	1.3201
2-	हज़रतगंज	1.10	1.50	0.8710
3-	सिन्डर्स डम्प योजना	5.00	5.00	0.1120
4-	अलीगंज मार्केटिंग एक्सटेन्शन	9.00	9.00	1.179
5-	कियास्क	0.50	0.50	0.145
6-	नक़्शास योजना	2.50	2.50	0.066
7-	आर०टी०ओ०	1.00	1.00	
8-	अन्य स्थानों पर दूकानों का निर्माण	1.00	1.00	
9-	सिक्कि सेन्टर	1.50	1.50	
10-	थोक व फुटकर बाज़ार	1.50	1.50	
11-	कैसरबाग़ मण्डी	2.00	2.00	0.045
कुल योग :		100.00	100.00	





- 1- शासन स्तर पर 11 योजनाएँ जिनमें 3511 एकड़ भूमि का अर्जन करना प्रस्तावित है जो विचाराधीन है सलंगनक (1) चार्ट से स्पष्ट है जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त शासन को सभी योजनाओं में अनुस्मारक भेजे गये है तथा समय-समय पर व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया गया है। इन 11 योजनाओं में से सीतापुर रोड योजना जो लगभग 1650.81 एकड़ की है, मीरतकी आवास योजना, बटलरगंज प्लॉट संख्या 23, हरदोई रोड कैटेल कालोनी तथा विज्ञप्तियाँ शीघ्र ही शासन द्वारा जारी हो ही हैं मंत्री जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
- 2- इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी स्तर पर 4 योजनाएँ विचाराधीन है जिसमें 3172 एकड़ भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। सलंगनक; चार्ट 2 से स्पष्ट हैं।
- 3- 13 नवीन योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किये गये है जो लगभग 4957 एकड़ की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। इन योजनाओं मेंसे 5 योजनाओं को जो क्रम संख्या 6, 7, 8, 10 तथा 11 पर अंकित है, को छोड़ कर शेष 8 योजनाओं के प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जा चुके हैं।
- 4- विभाग द्वारा निम्नलिखित स्थलों का मौजूदा समय में सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है :
  - 1- नेपियर रोड-पार्ट-4, आवासीय योजना।
  - 2- विभिन्न अहाते-आवासीय योजनाओं हेतु।
  - 3- काज़ुपट रोड-स्तेज फार्म हेतु।
  - 4- बरलिंगटन होटल, प्राधिकरण कार्यालय भवन हेतु।
  - 5- कुर्सी रोड को चौड़ा करने हेतु।
  - 6- चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क।
  - 7- उमराव सिनेमा के पास आवासीय एवं व्यवसायिक योजना।



विषय: भावन/भूखण्डों को आपसी सहमति से हस्तान्तरण करने पर विभिन्न प्रकार के हस्तान्तरण, शुल्क लेने के सम्बन्ध में।

x=x=x=x=x=x=x

विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भावनों के आवन्तन की प्रक्रिया लाटरी द्वारा निर्धारित की जाती है। लाटरी द्वारा आवन्तित भावन/भूखण्डों को आवन्ती अपनी ईच्छानुसार भूखण्ड/भावन का परिवर्तन करना चाहता है। यह परिवर्तन आपसी सहमति से तथा प्राधिकरण के खाली भूखण्ड/भावन होने पर होते हैं।

फलस्वरूप प्राधिकरण को कार्नेर का भूखण्ड/भावन अथावा और कोई रिक्त अच्छा भूखण्ड/भावन बिना किसी लाभ के देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में इस परिवर्तन में एक तो प्राधिकरण को कोई लाभ नहीं होता, दूसरे अभिलेखाओं में भी काट-पीट करनी पड़ती है तथा एक ही कार्य को दो-दो बार करना पड़ता है जिसमें आर्थिक हानि तो होती ही है साथ ही समय भी बर्बाद होता है। अतः ऐसे मामलों में सम्पूर्ण मूल्य पर भूखण्ड/भावन पर परिवर्तन शुल्क लगाना उचित होगा।

अतः सुझाव है कि अपने भावन/भूखण्ड में परिवर्तन कराने के ईच्छुक व्यक्तियों से भूखण्ड/भावन के कुल मूल्य का परिवर्तन शुल्क निम्न-लिखित रूप से लिया जाये :-

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1- एम0आई0जी0 भावनों पर   | 2 प्रतिशत              |
| 2- एल0आई0जी0 भावनों पर   | 1 प्रतिशत              |
| 3- ई0डब्लू0एस0 भावनों पर | 1/2 प्रतिशत            |
| 4- भूखण्डों पर           | कुल मूल्य का 3 प्रतिशत |

तदनुसार भावन आवन्तन नियमावली की धारा-10 में संशोधन कर दिया जाये। आवास विकास परिषद में यही नियम लागू है।

==x x ::::: 000 ::::: x x ==

विषय: प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्डों एवं निर्मित भावनों में से 20 प्रतिशत भूखण्ड/ भावन प्राधिकरण की आय स्रोतों में वृद्धि हेतु केशा-डाउन बेसिस पर बेचने के लिये आरक्षित करने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x=x

लखनऊ विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिये यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक संख्या में प्राधिकरण द्वारा निर्मित भावनों/विकसित भूखण्डों को केशा-डाउन आधार पर विक्रय किया जाये । हाउसिंग बोर्ड में ऐसा आरक्षण उपलब्ध है । ऐसा करने से जो धनराशि प्राप्त होगी उसे रिवाल्विंग फण्ड के रूप में प्रयोग किया जायेगा जिससे विकास प्राधिकरण अन्य स्थानों पर तेजी से विकास कार्य कर सकेगा । इस सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद की बैठक दिनांक 24-3-81 में लिया गया निर्णय निम्न प्रकार है:-

सं.सं. 11/4/81  
दिनांक 24-3-81

निर्णय  
=====

परिषद ने निर्देश दिये कि विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में पूर्ण विदेशी के साथ विस्तृत सुझाव परिषद के समक्ष उनकी अगली बैठक में जाया जाये । फिलहाल मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग में 25 प्रतिशत तक भावन की सम्पत्ति भूखण्डों को सम्मिलित करते हुए एक मुश्त भुगतान करने वालों के लिये आरक्षित कर ली जाये तथा इस सम्पत्ति में विदेशी मुद्रा में भावन लेने वालों को भी वरीयता प्रदान करते हुए प्रदेशान हेतु रखा जाये ।

अतः सुझाव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी ऐसे 20% प्रतिशत भूखण्ड/भावनों को केशा-डाउन बेसिस पर बेचने के लिये आरक्षण हेतु अनुमति प्रदान की जाये ।

==== ::::: 00000 ::::: =====

विषय: विकास प्राधिकरण के पुरानी कालोनीज  
में बने पुराने भावनों को विक्रय करना ।

=x=x=x=x=x=x=x=x=

नगर महापालिका के विकास हाण्ड द्वारा 19 कालोनियों में 2649 भावन निर्मित किये गये थे । इन भावनों का किराया काफी कम है । किरायेदार समय से किराया नहीं देते हैं तथा इनके रखा-रखाव पर भी बहुत अधिक धानराशि व्यय करनी पड़ती है । विकास प्राधिकरण को इन भावनों का गृह कर, जल कर तथा जल व्यय शुल्क ४ वाटर चार्ज ४ भी देने पड़ते हैं । इस प्रकार यह भावन विकास प्राधिकरण के लिये आय के श्रोत न होकर आय में ह्रास का कारण हैं । स्थिति को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिये दो विकल्प हो सकते हैं :- 1- भावनों के किराये का पुनःनिर्धारण किया जाये या 2- भावनों को विक्रय कर दिया जाये ।

राज्य सरकार ने अपने दिनांक 31-12-80 के शासनादेश संख्या-आर- 13963/32-80-54/76 द्वारा भावनों का स्टैन्डर्ड रेन्ट निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो गाइडलाइन्स निर्धारित की हैं उनके आधार पर विकास प्राधिकरण के पेपर मिल कालोनी में बने "ए"कटागिरी के एक भावन का प्लैन्स एरिया 832 वर्गफुट आता है जिसका वार्षिक किराया 1032/- है । इस प्रकार ऐसे भावन का वार्षिक किराया रु 1-24 पैसे प्रति वर्गफुट आता है । यह प्रतिमाह लगभग 10 पैसे प्रतिवर्गफुट आता है जबकि इस समय आवासीय भूमि का किराया कई गुना अधिक होना चाहिये । इस सिधदान्त पर पेपर मिल कालोनी के ऐसे भावन का किराया यदि 50 पैसे प्रतिमाह प्रति वर्गफुट ही कर दिया जाये जो अपने में ही बहुत कम है तो किराया पाँच गुना बढ़ जायेगा । इस समय पेपर मिल कालोनी के ऐसे भावन का किराया मात्र 86/- रुपया है । उपरोक्त स्थिति में यह किराया रुपया 430/- प्रतिमाह हो जायेगा जो वर्तमान बाजार भावों के सन्दर्भ में तुलनात्मक रूप से रीज़नएबुल कहा जा सकता है । उपर दिया गया विवरण केवल सुझावात्मक एवं उद्देश्य स्वरूप है । अतः इस आधार पर इन आवासीय भावनों का किराया निर्धारित करने की कार्यवाही प्रस्तावित है जिसमें बाजार दरों अथावा किसी अन्य सिधदान्त पर किराया पुनर्निर्धारित किया जा सकता है ।

यदि किराये में वृद्धि न की जाये तो बाजार दरों के आधार पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से दरें निर्धारित कराकर अथावा मार्केट रेन्ट के आधार पर या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हाल में राजकीय भावनों के लिये स्टैन्डर्ड रेन्ट निर्धारित करने के लिये बनाये गये फारमूले के आधार पर कैपिटल वैल्यू निकालकर भावन विक्रय किये जा सकते हैं ।

अतः उक्त विषय के सम्बन्ध में सुझाव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण एक अधिकृत उप-समिति गठित कर दे जिसका निर्णय अन्तिम हो । साथ ही मकानों के किराये के पुनर्निर्धारण अथावा विक्रय का निर्णय भी सैधदान्तिक रूप से प्रदान किया जाये ।

====xx ::::: 00000 :::::xx=====

विषय: नवनिर्मित भावनों की टेक्स लायबिलिटी  
भावन आविष्टियों द्वारा वहन करने के  
सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x=x

इस समय विकास प्राधिकरण नवनिर्मित  
भावनों तथा पुराने भावनों का हाउस टेक्स,  
वाटर टेक्स तथा वाटर चार्ज स्वयं भुगतान करता  
है । इन करों के भुगतान भावन आविष्टियों द्वारा  
क्रिया जाना चाहिये न कि विकास प्राधिकरण  
द्वारा । अतः प्रस्ताव है कि यह चार्ज  
नये मकान के सम्बन्ध में भावन आविष्टियों से  
भुगतान लिया जाये ।

अतः उक्त विषय पर निर्णय हेतु  
विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

===== :::: 0000 :::: =====

विषय: कर्मचारियों को भावन/भूमि क्रय अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x=x

वर्ष 1979-80 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भावन/भूमि अग्रिम स्वीकृत करके आधा भुगतान कर दिया गया था तथा यह निर्देश दिये गये थे कि कर्मचारी माटीज डीड भर दें ताकि शेष भुगतान किया जा सके । कर्मचारियों ने इससे असहमति प्रकट की । परिणाम स्वरूप मामला प्राधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया । निर्देशानुसार जलनिगम, आवास विकास परिषद/ कानपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर महापालिका, लखनऊ से उनके कार्यालयों में प्रचलित रीति ज्ञात की गई जो निम्नवत् है :-

1- जलनिगम :- जलनिगम के कर्मचारियों को भूमि/गृह अग्रिम वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद 244(ए) तथा 244 (बी) के अन्तर्गत दिये गये नियमों के अनुसार किया जाता है । जलनिगम के नाम बन्धाक रखाने के लिये माटीज डीड पर जो स्टैम्प ड्युटी (रजिस्ट्रेशन फीस) का व्यय किया जाता है उसकी परिपूर्ति निगम द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । पहले निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा माटीज डीड अपने व्यय पर कराया जायेगा और उसकी पुष्टि करने के पश्चात ही स्टैम्प ड्युटी (रजिस्ट्रेशन फीस) की परिपूर्ति की जायेगी ।

2- आवास-विकास परिषद

आर०आई०ओ० स्टैम्प, आदि की राशि ऋण गृहता को ही देय होती है ।

3- कानपुर विकास प्राधिकरण

कर्मचारियों को भावन निर्माण/क्रय, भूमि क्रय, भावन-मरम्मत तथा वाहन आदि क्रय हेतु अग्रिम एफ०एच०बी० वाल्युम- V के अनुच्छेद 244 के प्राविधानों के अनुसार दिये जाते हैं । माटीज डीड पर स्टैम्प ड्युटी अग्रिम गृहताओं को ही स्टैम्प ड्युटी ऐक्ट के अन्तर्गत देय होती है । कानपुर विकास प्राधिकरण ने कर्मचारियों को ईक्यूटेबिल माटीज की सुविधा प्रदान की है ।

2- स्टैम्प ड्युटी अग्रिम गृहता द्वारा दी जाती है ।

3- मूल-धान की कसूली के उपरान्त समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज लिया जाता है ।

कुमशा:-----

नवोन्नत नगर मंडल-

प्राधिकार, बुधवार :

- 1- अग्रिम पर 10 परवर्ती 10 वास्तुम - 1/ के अर्जित दिया जाता है ।
- 2- बांधी धानराशि भूमि क्रय हेतु दी जाती है, माटीज डीड भरने पर शेष धानराशि दी जाती है ।
- 3- कर्मचारी/अधिकारी अपने व्यय पर निधारित स्टेम्प टाक्स पर बन्धक पत्र भरता है ।
- 4- हायर परचेज पर जिन कर्मचारियों को भवन आविर्द्धित किये गये हैं, उनको प्रशासनिक आदेशों के आधार पर अग्रिम दिये जाते हैं ।

कानपुर विकास प्राधिकरण में जिन कर्मचारियों ने भूमि भवन को पूरा मूल्य देकर क्रय किया है उनके साथ इक्विटिबल माटीज किया जाता है ।

अतः सुझाव है कि नवोन्नत विकास प्राधिकरण में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पूरा मूल्य देकर भवन/भूमि क्रय किया है, उन्हें भी इक्विटिबल माटीज के आधार पर अग्रिम की अवशेष धानराशि का भुगतान कर दिया जाये ।

जो कर्मचारी हायर परचेज पर भूमि/भवन क्रय कर रहे हैं उनको भी इक्विटिबल माटीज के आधार पर भूभाण्ड के मूल्य की सीमा तक अग्रिम धानराशि भूमि की लीजडीड ग्रहण करने दी जा सकती है ।

अतः विकास प्राधिकरण के समस्त वित्ताधीन एवम् स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

====x x : : : : 00000 : : : : x x====

एम/आर x x



इंगित करना आवश्यक है कि बजट बाहर के दफ्तरी को धान भुगतान करके छपवाया तथा बँधावाया जाता है जिसपर सेकड़ों रुपये की धानराशि व्यय हो जाती है। वर्तमान वेतन तथा भातों की दरों के अनुसार एक पद पर लगभग रु 5,100/- वार्षिक व्यय होगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में दफ्तरी का एक पद वेतनमान रु 168-215 में स्थायी रूप से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

अतः संस्तुति की जाती है कि 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, 1 लाइब्रेरियन तथा 1 दफ्तरी के पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

===== ::::: 00000 ::::: =====

विषय: जलानु विकास प्राधिकरण में एक  
अंशकालीन चिकित्सक की नियुक्ति हेतु ।

=====  
=====

जलानु विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की सुखा सुविधा के लिये एक अंशकालीन चिकित्सक डा० अनिल बोगरा की नियुक्ति तत्कालीन उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 10-7-78 द्वारा रु० 500/- मासिक भात्ते पर कर दी गयी थी, यह भात्ता दिनांक 1-4-81 से रु० 600/-मासिक कर दिया गया । चूंकि विकास प्राधिकरण में अंशकालिक चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत नहीं है अतः आडिट ने इसपर आपत्ति की है । यह व्यवस्था प्राधिकरण कर्मचारियों के हित में की गई है एवं इसे बनाये रखाने की आवश्यकता है ।

अतः अंशकालिक चिकित्सक के एक पद के सृजन की कार्योत्तर स्वीकृत के साथ डा० अनिल बोगरा की, की गई नियुक्ति दिनांक 10-7-78 से 31-3-81 तक रु० 500/- मासिक भात्ते फिक्स्ड पे रू पर तथा दिनांक 1-4-81 से रु० 600 मासिक भात्तों पर अनुमोदित किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत ।

=====  
=====

एम/आरxxx

विषय: विकास प्राधिकरण के त्व-नियुक्त कर्मचारियों को राजकीय वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।  
-----

लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ कई वर्षों से यह मांग कर रहा है कि प्राधिकरण/महापालिका की सेवा में विभिन्न पदों के जो वेतनमान है वह राज्य सरकार में देय वेतनमानों से निम्न हैं। कुछ समय पूर्व संघ के प्रतिनिधियों ने यह बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त अभियन्त्रण विभाग एवं प्लानिंग विभाग में तकनीकी पदों के वेतनक्रम राज्य सरकार के प्रचलित वेतन क्रमों के अनुसार ही रखे गये है और तदनुसार नियुक्तियों की गयी। परन्तु लिपिकीय वर्ग के वेतनक्रम पूर्ववत् ही रहे। (विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को जो वेतन अनुमत्त थे )।

दिनांक 8-7-77 को प्राधिकरण की बैठक के समय कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अतः प्राधिकरण विचार विमर्श के उपरान्त अनौपचारिक रूप से यह निर्णय लिया कि उक्त मामला शासन को रेफर कर दिया जाये। तदनुसार यह विषय शासन को दिनांक 22-8-77 को संदर्भित किया गया था और इस सम्बन्ध में यह संसूति की गयी थी कि जो कर्मचारी महापालिका से आये है और जो प्राधिकरण ने नियुक्त किये है, उनके वेतनमानों में असमानता नहीं रहनी चाहिए। इस सम्बन्ध में शासन से पत्र-व्यवहार चलता रहा और दिनांक 24-10-78 को आयुक्त एवं सचिव आवास एवं नगर विकास के कक्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि " ऐसे जितने भी मामले है जिनमें समान वेतन की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके विवरण संघ द्वारा उपाध्यक्ष एवं शासन को उपलब्ध कराये जाये और तब समीक्षा करने के उपरान्त गुण अवगुण पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाये। सचिव आवास एवं नगर विकास द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कर्मियों की सेवा के स्वरूप एवं शर्तों के निर्धारण पर शासन द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने पर सम्भवतः कोई कठिनाई नहीं रहेगी। "

लखनऊ विकास प्राधिकरण में त्व-नियुक्त केवल अभियन्त्रण एवं प्लानिंग स्टाफ के तकनीकी कर्मचारियों को राजकीय वेतनमान दिया जा रहा है लेकिन अभियन्त्रण स्टाफ के ट्रेसर व ड्राफ्ट्समैन जो वर्ष 1976 के बाद नियुक्त हुए है, उनको राजकीय वेतनमान न देकर स्थायी निकाय का ही वेतन दिया जा रहा है साथ ही विकास प्राधिकरण के अभियन्त्रण, प्लानिंग तथा अन्य अनुभागों के सिनिस्ट्रीयल स्टाफ

को भी स्थानीय तिकाय का वेतनमान दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों के वेतनमान में जो विसंगति है वह नीचे दिये गये चार्ट के अवलोकन से भली भाँति स्पष्ट हो जाएगा :-

क्रम सं०	पद का नाम	स्थानीय तिकाय का वेतनमान	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित स्टाफिक पैटन के अनुसार वेतनमान	राजकीय वेतनमान
1-	प्रथम श्रेणी लिपिक	195-315	250-425	250-425
2-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	185-280	200-320	200-320
3-	ट्रेसर	176-250	200-320	185-265
4-	डाफ्टरमैन	280-464	325-575	ग्रेड-1 280-450 ग्रेड-II 200-320
5-	प्रधान लिपिक	240-424	280-450	280-450
6-	आशुलिपिक	240-424	250-425	250-425

उक्त विषय निर्याथ प्रस्तुत हैं ।

-- : : 0 : : --

विषय: लखनऊ-कानपुर मार्ग पर आवासीय क्षेत्र सेक्टर "डी" का विकास।

विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ-कानपुर मार्ग योजना के अन्तर्गत शारदा नहर के दक्षिण और कानपुर मार्ग के पूर्व की ओर लगभग 300 हेक्टेयर भूमि-अर्जित कर उसका कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। जिसमें व्यावसायिक, आवासीय एवं ट्रांसपोर्ट क्षेत्र विकसित किया जाना है। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया गया है और अब आवासीय सेक्टर "डी" की एक योजना बनायी गयी है जिसे हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त कर विकसित किया जायेगा और वहाँ पर सभी आय वर्ग के लोगों के लिए भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

इस क्षेत्र का भू-विज्ञान तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर मार्ग, जल, प्रकाश, सीवर, पार्क आदि की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक तकनीकी विवरण के साथ 254.33 लाख रुपया के व्यय की एक योजना तैयार की गयी है। योजना से सम्बन्धित मुख्य विवरण निम्न प्रकार है :-

- (1) योजना का क्षेत्रफल - 53 हेक्टेयर और उसके सर्वेक्षण, मिट्टी की भरायी कटायी आदि पर 14.90 लाख रुपया का व्यय।
  - (2) मार्ग की लम्बाई - 18 कि०मी० और उसके निर्माण पर व्यय 90.00 लाख।
  - (3) जल वितरक पाईप की लम्बाई 13.5 कि०मी० और उस पर व्यय 12.39 लाख रुपया।
  - (4) सीवर लाईनों की लम्बाई- 11 कि०मी० और उस पर व्यय -62.18 लाख।
  - (5) मुख्य नालों एवं नालियों की लम्बाई - 15 कि०मी० और इस कार्य पर व्यय - 28.93 लाख रुपया।
  - (6) विद्युत लाईनों की लम्बाई - 9 कि०मी० तथा उस पर व्यय 18.35 लाख।
  - (7) पार्कों की संख्या-21 और इस कार्य पर व्यय - 17.68 लाख रुपया।
  - (8) अन्य व्यय जैसे: गाँव के किनारे के रास्तों का निर्माण तथा जन-सुविधाओं की व्यवस्था - 10 लाख रुपया।
- पूरे क्षेत्र के विकास पर कुल व्यय - 254.33 लाख रुपया।

उपरोक्त कार्य के लिए वर्तमान बजट वर्ष में आवश्यक धन का प्राविधान किया जा चुका है और इसके विकास के लिए उपरोक्त आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से शासन की शर्तों के अनुसार ऋण प्राप्त करना आवश्यक है।

अनुशंसा की जाती है कि उपरोक्त विकास की योजना को अनुमोदन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन से 254.33 लाख रुपया का ऋण प्राप्त करने के लिए शासन को उपरोक्त योजना भेजते हुए आवश्यक ऋण के प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जायें।

विषय: अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना में नेशनल होम्योपैथिक कालेज हेतु आरक्षित भूमि के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=x=x=

महापालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या- 125 दिनांक 31-3-73 द्वारा अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत नेशनल होम्योपैथिक कालेज के भावन निर्माण हेतु सीतापुर व सीतापुर रेलवे क्रासिंग के मध्य 10 एकड़ भूमि को 1.66 पै० प्रति वर्गफुट से देने का निर्णय लिया था जिसमें से 2.25 एकड़ भूमि का कब्जा भी दिनांक 25-3-73 को उक्त कालेज को दे दिया गया था ।

उपाध्यक्ष ने दिनांक 5-2-81 को स्थल का निरीक्षण किया था । तत्पश्चात् दिनांक 10-2-81 को सचिव ने आदेश दिये थे कि प्रसंगत कालेज को पत्र लिखा कर पता करें कि उनको ज़मीन की आवश्यकता है या नहीं । अतः प्रधानाचार्य, नेशनल होम्योपैथिक तथा डायरेक्टर होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश से कई पत्रों द्वारा उक्त जानकारी चाही गई किन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में निम्न बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत है :-

- 1- महापालिका के प्रस्ताव संख्या 125 दिनांक 31-3-73 को निरस्त कर उक्त कालेज द्वारा जमा धनराशि रु० 1,63,500.00 पै० उसे वापस लौटाने की अनुमति ।
- 2- तदोपरान्त उक्त भूमि पर आवासीय योजना बनाने की स्वीकृति ।

===== x x x : : : : : 0 0 0 0 : : : : : x x x =====

समानक विकास प्राधिकरण की बैठक  
 दिनांक 30-7-1981 हेतु अतिरिक्त  
 विषयों की सूची ।

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 क्रम सं० | विषय | पृष्ठ संख्या  
 \*\*\*\*\*

- 1- रौदरी बजार, समानक को कम्युनिटी-सेन्टर बनाने हेतु भूमि आवंटन तथा आवंटन हेतु शर्तों का निर्धारित करना । 1
- 2- 8- जायसिंग रोड समानक पर आवासीय भास मानवीयों के सम्बन्ध में । 2
- 3- विकास प्राधिकरण के भूदायकों / भावनों के आवंटन हेतु धनराशि जमा करने वाले आवेदकों को उनकी सगि पर, उनके स्वारा जमा की गई धनराशि पर ध्यान दिया जाना । 3

\*\*\*\*\*

विषय संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: /

विषय : रोटरी क्लब, लखनऊ को कम्युनिटी सेन्टर बनाने हेतु भूमि का आवंटन तथा आवंटन हेतु शर्तों का निर्धारण करना ।

\*\*\*\*\*

अधिका, रोटरी क्लब, लखनऊ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि उन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण एक कम्युनिटी सेन्टर बनाने हेतु एक एकड़ भूमि आवंटित कर दें जिसपर वे अपने भावनों का निर्माण कराकर समाज को स्वास्थ्य सुविधा बच्चों के लिये पुस्तकालय, वाचनालय कक्षा व अन्य सुविधायें उपलब्ध करायें ।

विकास प्राधिकरण ने इस विस्तृत वर्ग के अन्त में निरालानगर योजना में कम्युनिटी सेन्टर बनाने हेतु कुछ धारणा का प्रावधान किया है । विकास प्राधिकरण की विस्तृत स्थिति नाजूक है । कम्युनिटी सेन्टर पर थोड़ी सी सुविधायें भी उपलब्ध कराने में विकास प्राधिकरण को कम से कम 7-8 लाख रुपया अवश्य व्यय करना होगा । इतनी धारणा व्यय करने पर भी प्राधिकरण को कोई लाभ नहीं होगी, बल्कि विकास प्राधिकरण पर यह एक आर्थिक बोझ हो जायेगा । विकास प्राधिकरण की विस्तृत स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है । अतः प्राधिकरण के लिये किजहाल या निकट भाविष्य में ऐसे कम्युनिटी सेन्टर बनाना सम्भव नहीं होगा ।

अतः ऐसी परिस्थिति में यदि रोटरी क्लब या अन्य किसी क्लब को कुछ शर्तों के साथ उनकी आवश्यकतानुसार भूमि दे दी जाती है तो समाज का बहुत बड़ा भाग लाभान्वित होगा तथा ऐसी संस्थाओं को मानव सेवा की डेरणा भी मिलेगी ।

\*\*\*\*\*

विभाग: 3, जायकी रोड, लहानउ पर आवासीय भावन मानचित्रों के सम्बन्ध में।

\*\*\*\*\*

श्रीमती फज़ल रहमानी केम तथा कुमारी बहारुवार्षीकेम ने भावन संख्या-3, जायकी रोड, लहानउ के विभाजित दो भागों पर अलग-अलग आवासीय भावन निर्माण की स्वीकृति हेतु भावन विन प्रस्तुत किये हैं। लहानउ महा योजना में इस क्षेत्र का भू-उपयोग केन्द्रीय तथा राजकीय कार्यालय हेतु प्रस्तावित है। उल्लेखित तस्वीर का कुल क्षेत्रफल 12000 वर्ग फुट था जिसमें से 6000 वर्गफुट कुमारी बहारुवार्षीकेम तथा अरुणा 6000 वर्ग फुट भूमि श्रीमती फज़ल - रहमानी केम ने ह्व की है। इनके प्रस्तावित मानचित्रों पर भू-उपयोग विपरीत होने की अवस्था के साथ साथ दूसरी मुख्य अवस्था यह भी है कि केन्द्रीय तथा राजकीय कार्यालयों के निर्माण हेतु भूभाग का क्षेत्रफल न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट होना चाहिये।

दोनों पक्षों ने इन अवस्थितियों का विरोध किया है तथा यह कहा है कि जबकि इस क्षेत्र में अधिकांश भावन जगहों से आवासीय उपयोग हेतु बने हैं। अतः इनके मानचित्र पर मौजूदा भावनों के उपयोग एवं स्थिति को देखते हुए मानचित्रों को अस्वीकार किये जायें।

यह स्थल राष्ट्रीय प्रताप मार्ग से मदन मोहन मालवीय मार्ग को जोड़ने वाली जायकी रोड पर स्थित है। इस मार्ग के दोनों ओर जगहों से पुराने आवासीय भावन स्थित हैं तथा 10,000 वर्ग फुट की ऐसी छोटी भूमि उपलब्ध नहीं है। जहाँ निकट भविष्य में राजकीय अथवा केन्द्रीय कार्यालय भावन बनाये जा सकें। इस सम्बन्ध में मुख्य-कार एवं ग्राम नियोजक विभाग उत्तर प्रदेश से राय मांगी गई थी। उन्होंने अपने पत्र सं: 7963/22 टी०पी०/लहानउ-वि०शा०/टी०पी०पी०-81, दिनांक 19-7-81 के द्वारा यह सूचित किया है कि यदि इस भूभाग पर कार्यालय भावन बनाये जाते हैं तो जायकी व आवागमन की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पायेगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि आवासीय भावन के प्रस्ताव पर विगत प्राधिकरण की बैठक से निर्णय लिया जाना उचित होगा।

उल्लेखनीय है यदि प्रस्तावित मानचित्रों को अस्वीकार कर दिया जाये तो वह प्लॉट खाली पड़े रहें और इनपर अनाधिकृत कब्जा/निर्माण होने की सम्भावना पैदा हो जायेगी।

अतः परिस्थिति विरोध में एक ही विकल्प है कि प्रस्तावित आवासीय दोनों भावन विधियों को स्वीकार कर दिया जाये एवं तदनुसार महायोजना में इस क्षेत्र का भू-उपयोग संशोधित करते हुए आवासीय कर दिया जाये। विभाग विगत प्राधिकरण के लक्ष्य विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*

विभाग संख्या: 3

दृष्ट संख्या: 3

विभाग: विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित  
आवासीय भावनों एवं भूखण्डों के  
आवंटन के सम्बन्ध में जमा धारणित पर व्याज के सम्बन्ध  
जमा धारणित पर व्याज का भुगतान

विभाजन प्रकार के आवासीय भावनों एवं भूखण्डों के लिये  
आवेदक द्वारा अग्रिम रूप में जमा धारणित पर व्याज के सम्बन्ध  
में आवासीय भावनों एवं भूखण्डों की आवंटन नियमावली के नियम  
-14 में उचित तम निम्न प्रावधान हैं :-

“ आवेदक के द्वारा जमा धारणित पर धारणित जमा  
होने की तिथि से आठे माह की गवनी तारीख से  
भूखण्ड/भावन की रजिस्ट्री की सूचना भोजने की अन्तिम  
तिथि से दूर माह की अन्तिम तिथि तक 4% प्रतिवर्ष  
की दर से साधारण व्याज देव होगा ”

इस नियम के अन्तर्गत केवल उन आवेदकों को उन्ने द्वारा  
जमा धारणित पर व्याज का भुगतान चुं रहा है, जिन्हे कोई  
भावन/भूखण्ड आवंटित हो गया हो ।

जिन आवेदकों को भूखण्ड/भावन आवंटित नहीं हो पाता  
उन्ने जमा धारणित पर व्याज नहीं निम्नता है । इस प्रकार हेने  
आवेदक भावन/भूखण्ड से भी वंचित रहते हैं तथा उन्ने जमा  
धारणित पर व्याज भी नहीं मिल पाता है । ऐसे कई मामले  
हैं, जिन्में भावन/भूखण्ड न आवंटन होने की वशा में जमा  
धारणित पर व्याज की धारणित की मति आवेदकों द्वारा  
की गई है ।

अतः ऐसे आवेदकों के मामले में क्या किया जाय ? इस  
बिन्दु पर निर्णय लिया जाना है ।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-9-81  
जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में  
पूर्वाह्न 11-00 बजे हुई का कार्य-वृत्त

====::: 00000 :::====

उपस्थिति:

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1- | श्री प्रकाश चन्द्र सक्सेना | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं<br>अध्यक्ष, लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण, लखनऊ ।                               |
| 2- | श्री आदित्य कुमार रसोगी    | सचिव, आवास एवं नगर विकास<br>उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।  |
| 3- | श्री ओम पाठक               | ज़िलाधिकारी, लखनऊ ।  |
| 4- | श्री मधुकर गुप्त           | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण, लखनऊ ।   |
| 5- | श्री एन०एस०जोहरी           | सीनियर टाउन प्लानर,<br>ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग<br>उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।                        |
| 6- | श्री एस०पी०अरोरा           | अधीक्षणा अभियन्ता,<br>इन्सपेक्शन ऑफ़ जल निगम<br>उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।                             |
| 7- | डा० वी०एन०छान्ना,          | अध्यक्ष, याचिका समिति,<br>सदस्य, विधान परिषद,<br>उत्तर प्रदेश, सदस्य, लखनऊ-<br>विकास प्राधिकरण । |
| 8- | श्री सत्यद सिन्धे रज़ी     | सदस्य, राज्य सभा, सदस्य,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण ।   |
| 9- | श्रीमती गीता कावर          | सदस्य, लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण, लखनऊ ।   |

अन्य उपस्थिति:

- |    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 1- | श्री कृपाल सिंह धापोला | सचिव, लखनऊ विकास<br>प्राधिकरण ।                        |
| 2- | श्री ए० एन० सिंह       | अतिरिक्त सचिव, लखनऊ<br>विकास प्राधिकरण ।               |
| 3- | श्री सुधी मेहता        | मुख्य अभियन्ता,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण                |
| 4- | श्री जे०पी०श्रीवास्तव  | मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ<br>विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।      |
| 5- | श्री के०बी०सक्सेना     | कास्ट एकाउन्टेन्ट, लखनऊ<br>विकास प्राधिकरण             |
| 6- | श्री एच०एन०दुबे        | अधिसूचना अभियन्ता-3,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण<br>लखनऊ । |

=x>>=x>>=x>>=x>>=x>>=

विषय संख्या:  
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नव-नियुक्त सदस्यों  
का स्वागत ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नव नियुक्त सदस्य  
श्री सिन्धे रज़ी, डा० वी०एन०छान्ना एवं  
श्रीमती गीता कावर की उपस्थिति पर प्राधिकरण

ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा तीनों सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया ।

विषय संख्या: 2  
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-6-81 के कार्य-वृत्त के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-6-81 के कार्य-वृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या: 3  
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-6-81 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पिछली बैठक के निर्णयों का अनुपालन अपेक्षाकृत तीव्रता से नहीं किया गया है जबकि तीन माह का समय पिछली बैठक के निर्णयों के अनुपालन के लिये काफी था । अध्यक्ष महोदय के विचार से उपाध्यक्ष ने अग्रत कराया कि प्राधिकरण की अगली बैठक में पिछले निर्णयों के अनुपालन से पूर्णतः अग्रत कराया जायेगा ।

पिछली बैठक दिनांक 25-6-81 के विषय सं: 8 के अनुपालन के बारे में निर्देश दिया गया कि विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को क्या - क्या शिक्षा सुविधायें प्रदान की जानी हैं ? ऐसी शिक्षा सुविधायें किन किन विकास प्राधिकरणों में दी जा रही हैं ? यह सम्मिलित करते हुए पूर्ण विवरण सहित आख्या अगली बैठक में अग्रत रक्खी जाये ।

पिछली बैठक के विषय संख्या: 12 के सम्बन्ध में कहा गया कि निर्बल सेवा संस्थान क्या है ? उसमें क्या बाई लाज़ हैं ? एवं उसकी क्या वित्तीय स्थिति है ? इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जानी चाहिये । आवास सचिव ने इस सम्बन्ध में कहा कि वास्तव में ऐसे विषय जिसमें विकास प्राधिकरण के पास पूर्ण सूचना व तथ्य उपलब्ध नहीं रहते हैं, बैठक में नहीं रखे जाने चाहिये । कोई भी विषय प्राधिकरण की बैठक में तभी रक्खा जाये जब उससे सम्बन्धित पूर्ण सूचना प्राधिकरण के पास हो ।

पिछली बैठक दिनांक 25-6-81 के विषय  
संख्या- 13 "क" के सम्बन्ध में विचार विमर्श  
किया गया । सदस्यों ने राय व्यक्त की कि  
उस स्थल पर कम्युनिटी सेन्टर बनाना उचित  
एवं व्यवहारिक नहीं होगा । आवास सचिव  
ने विचार व्यक्त किया कि इस मामले में  
भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये ।  
अतः निर्णय लिया गया कि आवन्ती को दी  
गई लीज़ का पूर्ण विधिगत परीक्षा करा  
लिया जाये, तब यह देखा जाये कि आवन्ती  
लीज़ की शर्तों का अनुपालन कर रहा है या  
नहीं । यदि वह शर्तों का उल्लंघन कर रहा है  
तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी  
चाहिये ।

दिनांक 25-6-81 की बैठक के विषय में  
संख्या- 13 "ख" के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष  
ने बताया कि इस मामले में डिटेल् सर्वेक्षण  
कराया जा रहा है । इसके बाद ही कोई  
कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

विषय संख्या: 4  
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की भौतिक एवं  
वित्तीय प्रगति आख्या ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

प्राधिकरण की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति  
आख्या का मूल्यांकन किया गया । इस सम्बन्ध  
में आवास सचिव ने यह कहा कि कार्य-सूची  
के पृष्ठ - "9" पर "कुछ" शब्द का प्रयोग  
बहुत ही आपत्ति जनक है । प्राधिकरण को  
स्पष्ट सूचना देनी चाहिये कि कितने मकानों  
में क्या हो रहा है ।

उपाध्यक्ष व सचिव, विकास प्राधिकरण ने  
आश्वासन दिया कि यद्यपि सैलंगनों में पूर्ण  
आँकड़े दिये गये हैं तथापि भाविष्य में ऐसे  
मामलों में नरेटिव में भी स्पष्ट सूचना प्रस्तुत  
की जायेगी । इसी सम्बन्ध में आवास सचिव  
ने यह भी कहा कि उन्होंने निर्देश दिये थे  
कि प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में एल0आई0सी0  
व अन्य ऋणों के बारे में सूचना अवश्य रखी  
जाये जिससे उसका मूल्यांकन हो सके कि प्राधि-  
करण ने कितना ऋण प्राप्त किया है और  
कितनी धनराशि का उपयोग किन-किन  
कार्यों के लिये कर लिया है । यह सूचना

उपाध्यक्षा ने प्रथाक से बैठक में उपलब्ध कराई ।  
आवास सचिव ने कहा कि निर्माण कार्य के लिये अप्रैल से जून तक का समय बहुत अच्छा होता है । यह बात समझ में नहीं आती है कि विकास प्राधिका-  
करण ने वाञ्छित निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं किये । उनका विचार था कि प्राधिकाकरण में अभियन्त्रण तथा अन्य स्टाफ़ आवश्यकता से अधिक मात्रा में है । इसके होते हुए भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है । उन्होने सुझाव दिया कि ऐसी प्रणाली अपनाई जाये कि प्राधिकाकरण प्रत्येक माह में हुए कार्यों एवं ऋणों के उपभोग के सम्बन्ध में मानेटरिंग कर सके ।  
श्री छान्ना ने कहा कि उन्हें एजेन्डा बहुत देर से मिला । सचिव विकास प्राधिकाकरण ने बताया कि भाविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा कि उन्हें एजेन्डा समय से मिल जाये ।

आवास सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि प्राधिकाकरण जिन दूकानों व मकानों का निर्माण करा रहा है, उनके सामने वह तिथि भी अवश्य अंकित की जाये कि वे निर्माणाधीन भवन एवं दूकानें किस तिथि तक बन कर तैयार हो जानी चाहियें । यह सूचना भी प्राधिकाकरण को दी जानी चाहिये कि कितने भवन बिक्रय के लिये एवं कितने भूखण्ड नीलाम के लिये उपलब्ध हैं । उन्होने सुझाव दिया कि विकास प्राधिकाकरण शीघ्र ही योजनायें तैयार करें एवं एल0आई0सी0 से अधिक से अधिक ऋण प्राप्त करें ।

प्राधिकाकरण की भाषितिक प्रगति को देखाकर जिलाधिकाारी ने यह विचार व्यक्त किया कि अभियन्त्रण विभाग की परफारमेन्स बहुत ही निराशाजनक है । उन्होने यह सुझाव दिया कि इस परफारमेन्स में सुधार लाने के लिये उन्होने कहा कि प्रत्येक अधिकाारी के लिये एक त्रैमास के कार्य का लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिये ।

त्रैमास के पूर्ण होने पर कार्य की समीक्षा की जानी चाहिये । यदि कोई अधिकाारी निर्धारित लक्ष्य से कम कार्य करता है तो अगले त्रैमास में पूर्व का बकाया कार्य जोड़ देना चाहिये वह अधिकाारी

अपने वर्तमान त्रेमास के कार्य के साथ ही पूर्व त्रेमास का बकाया कार्य भी पूर्ण करेगा । आवास सचिव ने भी यह विचार व्यक्त किया कि वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है अपेक्षाकृत निर्माण कार्यों के । उन्होंने मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण से यह जानना चाहा कि भावनों के इस्टीमेट्स समय से क्यों नहीं बन पाते हैं ?

इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने बताया कि वास्तव में जिस समय बजट बनता है उसी समय यह सब बातें तय हो जानी चाहियें कि बजट बनाते समय ही मकानों के ले-आउट, साइट, डिजाइनें तथा मकानों की संख्या व अन्य विषय पहले ही तय हो जाने चाहियें और यह सुनिश्चित करने के लिये अभी से अगले वर्ष की योजना व बजट की तैयारी की जा रही है जिसे पर्याप्त समय रहते प्राधिकरण के समक्ष भी रखा जायेगा । उन्होंने यह भी अग्रत कराया कि अब भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रभावी मानिट्रिंग करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानकारी चाही कि योजनाओं को पूर्ण करने हेतु प्राधिकरण पर्ट-चार्ट { PERT CHART } का प्रयोग कर रहा है या नहीं ? उन्होंने सुझाव दिया कि पर्टचार्ट बनवाकर योजनाओं की मानिट्रिंग की जानी चाहिये । उपाध्यक्ष ने कहा कि अब वे पर्ट-चार्ट बनवा रहे हैं ।

आवास सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक योजना पर एक साथ ही समस्त कार्य कराये जाने चाहिये । अलग अलग कार्य कराने से उन कार्यों में अच्छी प्रगति नहीं हो पाती तथा यह पता नहीं चलता कि कहाँ क्या कार्य हो रहा है ? अतः कार्यों को व्यवस्थित ढंग से कराया जाना चाहिये ।

:: 0 ::

उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास प्राधिकरण का बजट पुनरीक्षित करा रहे हैं। इसके अनुरूप इस वर्ष 3000 ४ तीन हजार ४ मकान बनाने का ही लक्ष्य रक्खो जाने की सम्भावना है। इस समय 1250 मकानों में कार्य हो रहा है। 200 ई0डब्लू0एस0 के भवन के टेन्डर स्वीकृत हो चुके हैं। 110 एम0आई0जी0 के टेन्डर स्वीकृत हो चुके हैं। 50 एच0आई0जी0 सेल्फ फाइनेन्सिंग के अन्तर्गत बन रहे हैं एवं 109 साइट ऐण्ड सर्विसिज के मकान बनाये जा रहे हैं।

विषय संख्या: 5

भवन/भूखण्डों को आपसी सहमति से हस्तान्तरण करने पर विभिन्न प्रकार के हस्तान्तरण शुल्क लेने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

प्राधिकरण में इस पर विचार विमर्श किया गया तथा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या: 6

प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्डों एवं निर्मित भवनों में से 20 प्रतिशत भूखण्ड/भवन प्राधिकरण की आय स्रोतों में विृद्धि हेतु केश-डाउन वेसिस, पर बेचने के लिये आरक्षित करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विषय संख्या: 7

विकास प्राधिकरण की पुरानी कालोनीज में नये पुराने भवनों को विक्रय करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

इस विषय में आवास सचिव ने बताया कि शासन इस मामले में विचार कर रहा है अतः फिलहाल प्राधिकरण के स्तर पर कोई निर्णय लेना सामयिक न होगा। जिलाधिकारी, लखनऊ ने बताया कि इस सम्पत्ति का मालिक, लखनऊ विकास प्राधिकरण है और इस सम्पत्ति को बेचने तथा रखाने का उसे अधिकार है न कि शासन को। आवास सचिव ने बताया कि यह मकान शासन के श्रृंग से बने हैं अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

कुमशा:--- 7

इस विषय में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि शासन ने राजकीय भावनों का मानक किराया निर्धारित करने के लिये जो शासनादेश निर्गत किया है उसके अनुसार इस भावनों का किराया निर्धारित किया जाये तथा तदानुसार वसूली की जाये ।

विषय संख्या: 8  
=====

नवनिर्मित भावनों की टैक्स लाईबिलिटी भावन आवृत्तियों द्वारा वहन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया कि ऐसा करना वैधानिक नहीं होगा । अतः यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाये । यह भी सुझाव दिया गया कि विकास प्राधिकरण ने अपने भावनों का आवन्तन जिन शर्तों पर किया है, उनका पुनः अध्ययन कर लिया जाये और उसी पृष्ठ भूमि में कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 9  
=====

कर्मचारियों को भावन/भूमि क्रय अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

इस विषय पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पूरा मूल्य देकर भूखण्ड/भावन क्रय कर लिया है, इक्युटएबुल माटीज के आधार पर अग्रिम की अवशेष धारणा भुगतान कर दी जाये । जिन कर्मचारियों ने हायर परचेज़ पर भूखण्ड/भावन प्राप्त किया है उनको अग्रिम देने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यह देखा लिया जाये कि शासन में इस प्रकार के अग्रिम का प्राविधान है कि नहीं ? यदि शासन में ऐसे अग्रिम का प्राविधान नहीं है तो विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे लोगों को श्रृण नहीं दिया जाना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार इस मामले को शासन को संदर्भित किया जाये ।

कार्यवाही: मुख्य लेखाधिकारी

विषय संख्या: 10

लखनऊ विकास प्राधिकरण में 1- 17 चपरासी, 2- 1 लाइब्रेरियन, 3- लेखा विभाग हेतु एक दफ्तरी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

इस सम्बन्ध में आवास सचिव ने जानकारी चाही कि इनमें सबसे कनिष्ठ चपरासी कौन है और वे कितने समय से प्राधिकरण की सेवा में हैं । अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में अप्रसन्ना व्यक्त की कि जब पद स्वीकृत नहीं थे तो यह कैसे रखा लिये गये और वेतन कैसे दिया जा रहा है । जिन ड्राईंग आफिसर द्वारा इनका वेतन निकाला जा रहा है उनसे रिक्वरी होनी चाहिये तथा निर्देश दिया कि भविष्य में कोई भी नियुक्ति बिना पूर्व स्वीकृति के न की जाये ।

निर्णय हुआ कि इन 17 चपरासियों को अस्थायी तौर पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाये कि भविष्य में सेवा-मुक्त होने वाले चपरासियों के स्थान में समायोजित किया जाये । प्राधिकरण के लेखा विभाग हेतु दफ्तरी का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई और यह निर्देश दिया गया कि चतुर्थांश रैगुलर कर्मचारियों में से किसी उपयुक्त कर्मचारी का चयन दफ्तरी के पद पर कर लिया जाये तथा इस पद को 17 चपरासियों के पदों में समायोजित कर लिया जाये । प्राधिकरण में लाइब्रेरियन का वेतनमान रुपये 195-315 में एक पद सृजित किया गया और यह सुझाव दिया गया कि उपरोक्त 17 चपरासियों में जो चपरासी इन्टरमीडिएट हो उसे इस पद पर नियुक्त किया जाये ।

विषय संख्या: 11

लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक अंशकालीन चिकित्सक की नियुक्ति हेतु ।

पारित प्रस्ताव:

विवारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

विषय संख्या: 12  
=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नव नियुक्त कर्मचारियों को राजकीय वेतन मान दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

विषय पर विचार विमर्श हुआ तथा यह निर्णय लिया गया कि अब नये पे कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली है तदुपरान्त इस मामले को देखा लिया जाये और यदि आवश्यकता हुई तो शासन को विषय संदर्भित किया जाये ।

विषय संख्या: 13  
=====

लखनऊ कानपुर मार्ग पर आवासीय क्षेत्र सेक्टर "डी" का विकास ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

इस योजना के बारे में विचार विमर्श के उपरान्त यह विचार व्यक्त किया गया कि योजना पूर्ण नहीं है । इसमें बहुत सी सूचनायें अपेक्षित हैं अर्थात् इस भूमि पर आगे चल कर इसका उपयोग/निस्तारण किस प्रकार किया जायेगा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये था योजना का पूरा नक्शा/ले-आउट प्रदर्शित किया जाना चाहिये था । उपाध्यक्ष ने बताया कि जिन सूचनाओं की अपेक्षा की गई है वे अगली बैठक में रखा दी जायेंगी तथा योजना की पूर्ण रूप रेखा आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दी जायेगी । इस समय इस योजना को शासन भेजने की अनुमति प्रदान कर दी जाये ताकि सम्बन्धित ऋण शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके ।

निर्णय हुआ कि ऋण की स्वीकृति हेतु योजना शासन को भेज दी जाये ।

विषय संख्या: 14  
=====

अलीगंज योजना में नेशनल होम्योपैथिक कालेज हेतु आरक्षित भूमि के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नेशनल होम्योपैथिक कालेज द्वारा जमा की गयी धानराशि वापस कर दी जाये तथा उक्त भूमि पर विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय या अन्य कोई योजना बना ले ।

विषय संख्या: 15  
=====

रोटरी क्लब, लखनऊ को कम्युनिटी सेन्टर बनाने हेतु भूमि आवन्तन तथा आवन्तन शर्तों का निर्धारित करना ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

उक्त प्रस्ताव पर विमर्श हुआ । प्राधिकरण ने यह राय व्यक्त की, कि ऐसे कम्युनिटी सेन्टर का प्रवन्धा करने के लिये एक कमेटी गठित कर दी जानी चाहिये जिसके अध्यक्ष, जिलाधिकारी, लखनऊ तथा सदस्य उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण तथा रोटरी क्लब का कोई प्रतिनिधि होगा । उक्त कम्युनिटी सेन्टर का आवन्तन आदि गठित समिति द्वारा किया जा सकता है तथा कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण कराने के लिये प्राधिकरण उपयुक्त शर्तें निर्धारित कर दे । उदाहरण के लिये कम्युनिटी सेन्टर का प्रयोग विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिये ही होगा । उक्त क्लब द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कम्युनिटी सेन्टर विकास प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा इसका प्रवन्धा विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा । कम्युनिटी सेन्टर का प्रयोग किसी भी व्यवसायिक कार्य के लिये नहीं किया जायेगा । इस प्रकार संवैधानिक रूप से कम्युनिटी सेन्टर निर्माण हेतु रोटरी क्लब को भूमि देने का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए यह सुझाव दिया गया कि भूमि/भावन के लिये जो शर्त तैयार की जायें उन्हें आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 16  
=====

8 जायलिंग रोड पर आवासीय मानचित्रों के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

विवारोपरान्त विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृत प्रदान की गई ।

विषय संख्या: 17  
=====

विकास प्राधिकरण के भूखण्डों/भावनों के आवन्तन हेतु धानराशि जमा करने वाले आवेदकों को उनकी मांग पर, उनके द्वारा जमा की गई धानराशि पर ब्याज दिया जाना ।

पारित प्रस्ताव:  
=====

विवारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि

उन लोगों को भी ब्याज मिलना चाहिये जिन्हें भूछाण्ड/भावन नहीं मिल पाते हैं । इसमें आवन्तन सम्बन्धी नियम 14११ में संशोधन कर लिया जाये । प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त निर्णय यदि पहले के आवेदकों के लिये लागू किया जाता है तो विकास प्राधिकरण पर इतनी अधिक लाईबिलिटी आ जायेगी कि वह उसका भुगतान ही नहीं कर पायेगा । अतः यह निर्णय लिया गया कि यह सुविधा दिनांक 1-10-81 से उपलब्ध करा दी जाये ।

अन्य विषय :

=====

- 1- जिलाधिकारी, लखनऊ ने विचार व्यक्त किया कि विकास प्राधिकरण को पहले ही से यह तय कर लेना चाहिये कि किन मुख्य मार्गों पर सिनेमा हाल, होटल आदि बनाये जाने चाहिये और आवश्यकतानुसार उन्हें अध्यापित करके इन प्रयोजनों के लिये विकास के पश्चात वेच देना चाहिये जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । साथ साथ उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिन भूछाण्डों पर प्राधिकरण की व्यावसायिक योजनाएँ प्रस्तावित हों वहाँ बड़े बड़े लिडिंग विल्डर्स & Building Builders & को भूमि मार्केट दरों पर देकर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्लान आदि के अनुसार निर्माण आदि की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये जिससे प्रिमियम के रूप में एक मुश्त अच्छी धानराशि मिल सकती है जिस का सदुपयोग अन्य योजनाओं में किया जा सकता है । काफी विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय हुआ कि इस विषय पर जिला-धिकारी व उपाध्यक्ष संयुक्त रूप से एक नीति विषयक टिप्पणी विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करते हुए तैयार करें जिसे प्राधिकरण की अगली बैठक में रखा जाये । इसी सम्बन्ध में आवास सचिव ने यह विचार व्यक्त किया कि प्राधिकरण को चाहिये कि वह कम से कम निर्माण कार्य अपने हाथ में ले ।

- 2- डा० छान्ना ने विचार व्यक्त किया कि प्राग नरायन रोड पर गरीब तक्के के लोगों को बस दिया जाये। वे सभी लो कास्ट आवास बनाने को तैयार हैं। उपाध्यक्षा ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे।
- 2.1- उपाध्यक्षा ने बताया कि वे निशातगंज पुल, डालीगंज पुल के दोनों ओर व राणा प्रताप मार्ग के स्लम्स को हटाने के लिये एक योजना शीघ्र तैयार करा रहे हैं। इन उपरोक्त गन्दी वस्तियों का सर्वेक्षण करा कर उनमें रहने वालों की सूची तैयार कराई जा रही है तथा उनके लिये कितनी उपयुक्त स्थान पर कम मूल्य के मकान बना कर विस्थापितों को दिये जाने का विचार है। आवास सचिव ने इस विचार की सराहना की और कहा कि शासन से भी इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर लिया जाये। वे इसके लिये धन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।
- 2.2- श्री छान्ना ने सुझाव दिया कि गरीब तक्के के दूकानदारों के लिये जिसमें इन लोगों के लिये कम कीमत पर छोटी-छोटी दूकानें उपलब्ध करा दी जायें।
- 3- उपाध्यक्षा ने बताया कि नगर में स्थित आर० टी०ओ० काम्पलेक्स शापिंग काम्पलेक्स के रूप में डेवलप करा रहे हैं। आवास सचिव ने इसी विचार विमर्श के दौरान सुझाव दिया कि अमीनाबाद पार्क के चारों ओर जो केनाल है, वह केनाल का कार्य नहीं कर रही है, उसे पटवा दिया जाये। ऐसा करने से वहाँ पर बहुत अच्छी पार्किंग प्लेस प्राप्त हो सकती है।
- 4- जिलाधिकारी, लखनऊ ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण में वित्तीय अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। वर्ष के प्रारम्भ में ही यह योजना बना लेनी चाहिये कि कितने प्लॉट नीलाम होने है, कितने भवन विक्रय किये जाने हैं एवं कितने हेक्टेयर भूमि का विकास किया जायेगा। उपाध्यक्षा ने बताया कि इसी प्रकार कार्यवाही करने का प्रयास किया जा रहा है।

- 5- आवास सचिव ने विचार व्यक्त किया कि प्राधिकरण जो कालोनियाँ बना रहा है, वहाँ के निवासियों की सुविधा हेतु वहाँ पर सब्जी, फल मीट एवं मछली आदि की दुकानें, पोस्ट आफिस, थाना, डिस्पेन्सरी, रिक्शा, टेक्सी स्टेन्ड आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जायें। थाना व पोस्ट आफिस के लिये आवश्यकतानुसार एच0आई0जी0 व एम0आई0जी0 भावन प्रयोग किये जा सकते हैं।

विशेष प्रस्ताव:

=====

1-

बैठक के लिये प्रस्तावित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त डा0 बी0के0खाना, सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुझाव दिया गया कि लखानऊ में एक रिंग रोड बनाने की योजना बनाई जाये। उन्होंने बताया कि लखानऊ बाराबंकी तक मीटर गेज छात्म कर दी गई है अतः विकास प्राधिकरण उक्त भूमि को लेकर भारी वाहनों के लिये एक अच्छी सड़क का निर्माण कराये। उपाध्यक्ष ने अग्रत कराया कि रिंग रोड का प्रस्ताव पूर्व ही तैयार होकर शासन के विचाराधीन है तथा उक्त रेलवे लाइन के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक एवं रेलवे के अधिकारियों के बीच इसे रिंग रेलवे के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श चल रहा है।

2-

आवास सचिव तथा अन्य सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया कि विकास प्राधिकरण की बैठक लखानऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय भावन में होनी चाहिये। अतः यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी बैठक विकास प्राधिकरण कार्यालय में स्थित कमेटी हाल में की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय के धान्यवाद के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

॥ मधुकर गुप्त ॥  
उपाध्यक्ष  
लखानऊ विकास प्राधिकरण

॥ कृपाल सिंह धापोला ॥  
सचिव  
लखानऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त

=====

एम/आरxxx

॥ प्रकाश चन्द्र सक्सेना ॥  
आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखानऊ  
विकास प्राधिकरण।